State Vigilance Bureau, Gurgaon Range, Gurgaon

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्श 2013 प्र.सू.रि.स 3 दिनांक 02.02.2013

2.अधिनियम पी0सी0 एक्ट धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

3.(क) घटना का दिन षनिवार दिनांक दिनांक 02.02.2013

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 02.02.2013 समय 10.15 ए0एम0

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविश्टि संख्या) 4 समय 10.30 ए0एम0

4.(सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिषा एंव दूरी) जानिब–पूर्व – दक्षिण लगभग 60/65 किलो मीटर

थाने का नाम :– सी.आई.ए पलवल। जिला पलवल।

(ख) पता :

6. (षिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :– इरषाद पिता का नाम : श्री रसीद

(क) नाम : इरषाद

(ख) (पिता/पति का नाम)

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राश्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) कबाडी (पता) इरषाद सपुत्र रसीद कोम कुरेषी निवासी गांव नकलपुर त0 पुन्हाना जिला मेवात।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. सुरेन्द्र निरीक्षक,
   सी.आई.ए स्टाफ पलवल।

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्रीमति सत्यावती उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह), गुडगांव बदस्त सि0 संदीप कुमार न0 659/फरीदाबाद बराये कायमी मुकदमा थाना हजा में प्राप्त हुई है। जिसका विशय इस प्रकार से है ''सेवा में श्रीमान एस.पी. विजिलैसं गुडगांव,

श्रीमान जी, मै ईरषाद पुत्र श्री रषीद कौम कुरेषी निवासी गांव नवलपुर थाना पुन्हाना जिला मेवात तथा मैने एक कबाडे की दुकान डी0पी0एस0 स्कूल के सामने गांव औरंगाबाद में मुकेष पुत्र श्री धर्मपाल के खेत में खोल रखी है। जिस पर कभी मै व कभी मेरा रिष्तेदार साबिर बैठता है। यह दुकान करीब 12–13 माह से खोल रखी है। मेरी दुकान पर दिनांक 31.01.2013 को करीब षाम के लगभग 6, 6.30 बजे पुलिस की सरकारी गाडी आई जिसमें ईन्सपैक्टर सुरेन्द्र, एक ड्राईवर व दो अन्य मुलाजिम जिन्होने गाडी से दो और प्राईवेट लोगों को उतारा था जिनके हाथों में हथकडी लगी हुई थी, और मेरे कबाडे की दुकान पर आकर कहा कि तुने दो साल पहले चोरी का पीतल व तांबा ले रखा है। और मुझे उनके साथ ही गाडी में बिठा लिया मैने काफी कहा कि मैने कोई चोरी का माल नही ले रखा मगर उन्होने मेरी एक नही सुनी, और मुझे सी0आई0ए0 पलवल में ले गये। मेरे पास कमीज की जेब में 16000 रूपये थे व मेरे मोबाईल फोन, पहचान पत्र, डी0एल0 भी मेरे पास थे जो सी0आई0ए0 में ले लिये और कहा कि अपने किसी घरवाले को बुला ले। और कहा कि अपने साथ 30,000/– रूपये ले आये। फिर मेरी बुआ का लडका षाकिर मुझे छुडाने गया तो रात को करीब 11.00 बजे मेरे को छोडा मैने कहा साहब मै गरीब आदमी हूॅ। इतने पैसे नही दे सकता तो आप कम कर लिजिये तो इन्सपैक्टर सुरेन्द्र ने कहा कि 16000 ये है और 7000 और ले आयो तथा अपना मोबाईल फोन, डी0एल0 व पहचान पत्र ले जाना ये सारी बातें मैने अपनी जमीन मालिक मुकेष कुमार को बताई तथा उन्होने इन्सपैक्टर सुरेन्द्र के मोबाईल न0 08053509163 पर मोबाईल न0 09729424425 से बात की जिसकी रिकार्डिंग की हुई है। उसकी सीडी आपको पेष कर दूगां जो इन्सपैक्टर सुरेन्द्र बिना 7000/– रूपये लिये मेरा मोबाईल फोन व अन्य सामान नही देगा और मै उसको रिष्वत के 7000 रूपये तथा 16000 रूपये मेरे पहले ही ले रखे है। मै उनको ये पैसे देना नही चाहता और वह बगैर पैसे लिये मेरा मोबाईल फोन व सामान देना नही चाहता । मेरी सुरेन्द्र इन्सपैक्टर से कोई रजिंष नही है और ना ही कोई लेना–देना है। उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। अब मै खेत के मालिक मुकेष कुमार के साथ आया हूॅ जो आपको दरखास्त पेष कर दी है। कार्यवाही की जावे। हस्ताः– अगूठा ईरषाद सपुत्र रसीद कोम कुरेषी निवासी गांव नकलपुर पुन्हाना (मेवात) दिनांक 2.2.2013. <u>कार्यवाही पुलिस</u> :– आज मन डी0एस0पी0 मय एस. आई राम सिंह, ए0एस0आई0 सुभाश चन्द 353 एच0, ए0एस0आई0 श्रवण कुमार 293/जी0आर0पी0, ए0एस0आई0 देवेन्द्र सिंह, एच0सी0 सतीष कुमार 1706 फरीदाबाद, सि0 योगेष कुमार 2809 गुडगांव सि0 संदीप कुमार 659 फरीदाबाद के मय गाडी सरकारी एच0आर0 03 के 4422 जिसका चालक ई0एच0सी0 जोगेन्द्र सिंह न0 2361 फरीदाबाद बराये तफतीष मुकदमा न0 13/12 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव पी0डब्लू0 डी0 रेस्ट हाउस पलवल में मौजूद हूॅ। इसी समय ईरषाद उपरोक्त मुदई ने हाजिर होकर दरखास्त पेष की, जो दरखास्त के मजबून से सरेदस्त जुर्म 7 पी.सी एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा बदस्त सि0 संदीप कुमार न0 659/फरीदाबाद के हाथ भेजी जा रही है। मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर करके नम्बर पर्चा से सूचित करे।

स्पैषल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट सहाब की सेवा में भिजवाई जावे। मन डी.एस.पी मय मुदई मय रैडिगं पार्टी के रवाना फरीदाबाद डी.सी साहब कार्यालय/कैम्प की होती हूॅ। हस्ताः— अग्रेजी सत्यावती उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) गुडगांव एट 7.30 ए.एम, दिनांक 2.2.2013 अज थाना :— आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बाजुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की 5 प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जायेंगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया स्पैषल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब पलवल, बजरिया स्पैषल मैसंजल सि0 संदीप कुमार न0 659/फरीदाबाद भेजी जा रही है। असल मिषल पुलिस मय आमदा तहरीर भी मौका पर ्रढ़ को मौका पर पहुंचाने हेतु इसी आरिन्दा सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता : अग्रेंजी जगत सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगत सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच.ए.पी/15
दिनांक 02.02.13 समय 12.30 पी0एम